**सख्या:-26/2023/001-26आ0/23-5-23-09भवन-2018टीसी**

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

**लोक निर्माण अनुभाग-5** **लखनऊ : दिनांक : 09 फरवरी, 2023**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट व कानपुर नगर के 02 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-2053बीजीबी/109बीजीबी/निरीक्षण भवनों/सर्किट हा0 का जीर्णोद्धार/निर्माण कर्य(चालू कार्य)/22-23, दिनांक 27.01.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट व कानपुर नगर के 02 कार्यों हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष देयता में से **रू0 268.00 लाख(रू0 दो करोड़ अरसठ लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र0 सं0 | शासनादेश संख्या व दिनांक | कार्य का नाम | योजनावार स्वीकृत धनराशि | टेंडर के पश्चात बचत की धनराशि | आवंटन हेतु कुल धनराशि | पूर्व में आवंटित धनराशि | अवशेष धनराशि | निर्गत की जाने वाली धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | (धनराशि लाख रू0 में) | | | |
| 1 | 42/2021/498आ0/23-5-20-03(भवन)/2020टीसी, दिनांक 09.03.2021 | चित्रकूट में सर्किट हाउस भवन के निर्माण का कार्य। | 909.27 | 16.39 | 892.88 | 20.00 | 872.88 | 100.00 |
| 2 | 62/2017/123आ0/23-5-17-38(भवन)/2017, दिनांक 26.10.2017 एवं 39/2018/69आ0/23-5-18-38(भवन)/2017, दिनांक 15.05.2018 एवं 20/2019/01आ0/23-5-19-38(भवन)/2017, दिनांक 08.03.2019 (पुनरीक्षण) एवं 43/2019/126आ0/23-5-19-09(भवन)/2018टीसी-1, दिनांक 13.08.2019 एवं 11/2021/381आ0/23-5-20-02(भवन)/2018टीसी, दिनांक 18.01.2021 एवं | जनपद कानपुर नगर में कैण्ट स्थित सर्किट हाउस में प्रेसीडेन्सियल कक्ष, वी0वी0आई0 पी0 कक्ष, पार्किंग, बाउण्ड्रीवाल एवं पार्किंग पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। | 1597.21 | 0.00 | 1597.21 | 1066.03 | 531.18 | 168.00 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 47/2021/422आ0/23-5-20-31(भवन)/2017टीसी, दिनांक 18.03.2021 (पुनरीक्षण)<br>एवं<br>102/2021/218आ0/23-5-21-09(भवन)/2018, दिनांक 22.09.2021<br>एवं<br>05/2022/396आ0/23-5-21-09(भवन)/2018, दिनांक 12.01.2022<br>एवं<br>19/2022/47आ0/23-5-22-09(भवन)/2018, दिनांक 23.05.2022 | | | | | | | |
| | | | योग :- | | | | **1404.06** | **268.00** |

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -**

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दि0 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 2,68,00,000(रूपये दो करोड़ अरसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059800512100 निरीक्षण भवनों/सर्किट हाउसों का जीर्णोद्धार/निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

**..../03..**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

**संख्या:-26/2023/001-26आ0(1)/23-5-2023तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी चित्रकूट धाम(बांदा) व कानपुर नगर।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, चित्रकूट धाम(बांदा) व कानपुर नगर।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, चित्रकूट धाम(बांदा) क्षेत्र व कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधीक्षण अभियन्ता, बांदा वृत्त व कानपुर वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन), लो0नि0वि0, बांदा।
14- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन), लो0नि0वि0, कानपुर नगर।
15- वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।